मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

दिनांक – 09 नवम्बर 2021

आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

निर्देश

संदर्भ : पत्र क्रं- एफ 2-13/2021/सात-7 दिनांक 28/10/2021

- आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराना।
- आबादी क्षेत्र सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में होगा।
- अपर्याप्त आबादी भूमि होने पर पृथक आबादी क्षेत्र घोषित करना।
- परिवार से अभिप्रेत है पति-पत्नि तथा उनके अविवाहित पुत्र/पुत्री

ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया

ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- सारा पोर्टल (http://saara.mp.gov.in/) के माध्यम से योजना हेतु आवेदन किया जा सकेगा।
- सारा पोर्टल पर उपलब्ध लिंक "मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना" पर क्लिक कर नवीन आवेदन हेतु ऑप्शन उपलब्ध होगा।
- नवीन आवेदन में समग्र नंबर अनुसार नाम आदि जानकारी उपलब्ध होगी।
- आवेदन भरने हेतु मोबाईल नंबर अनिवार्य है, जिसके माध्यम से ओटीपी प्राप्त कर आवेदन ऑनलाईन जमा किया जा सकता है।

ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- आवेदन भरने के उपरांत दिए गए आधार नंबर हेतु ई-केवायसी का ऑप्शन उपलब्ध होगा।
- ई-केवायसी मोबाइल ओटीपी/बायोमेट्रिक के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। तदुपरांत आवेदन अंतिम रूप से सुरक्षित होगा।
- ई-केवायसी की प्रक्रिया को फार्म भरने के समय पूर्ण न होने पर आवेदन सर्च कर ई-वायसी की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है।
- ई-केवायसी पूर्ण होने पर पृथक से आवेदन पर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा।

ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- ❖ आवेदन भरने के उपरांत आवेदन का प्रिंट सारा पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। जिसके लिए पृथक से डाउनलोड ऑप्शन भी दिया गया है।
- ❖ आवेदन डाउनलोड एवं ई-केवायसी हेतु एप्लीकेशन नंबर एवं मोबाईल नंबर दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है।
- ❖ एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करने हेतु मोबाईल नंबर एवं समग्र आईडी अंकित कर एप्लीकेशन नंबर को खोजा जा सकता है।

ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया

सारा पेज के होम पेज पर लिंक उपलब्ध है

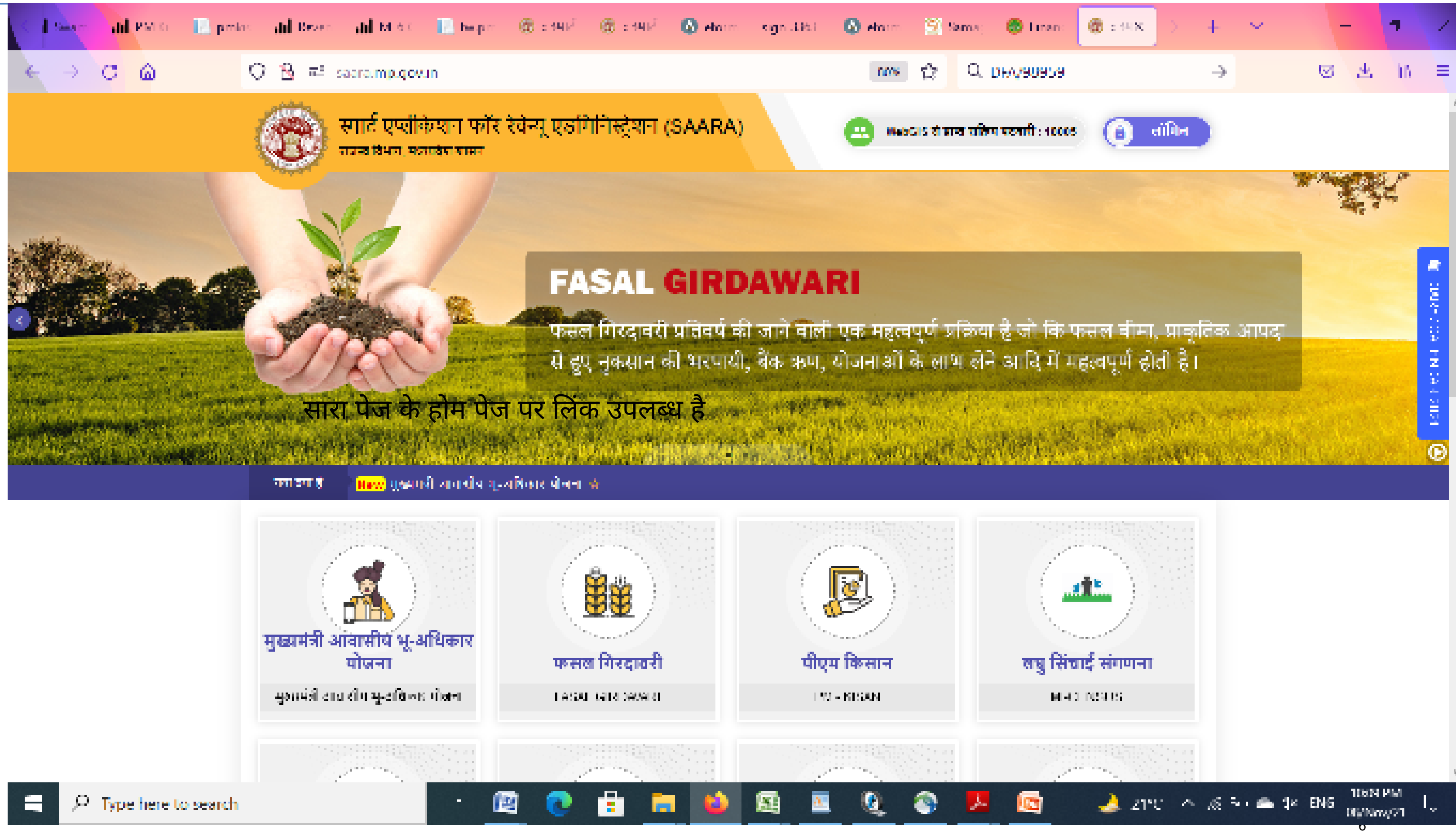

ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन करें पर क्लिक करें

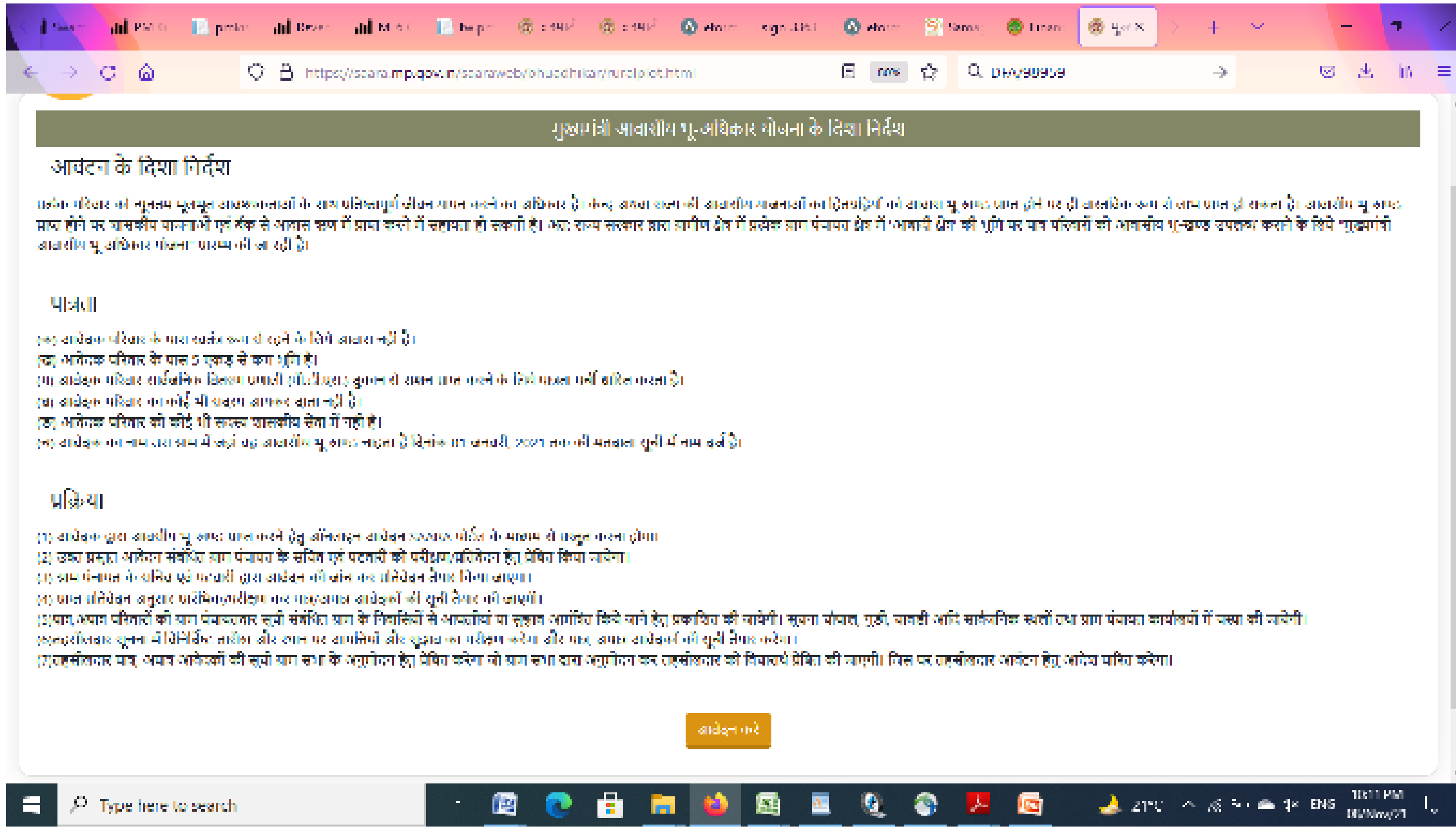

ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन दर्ज करें पर क्लिक करें

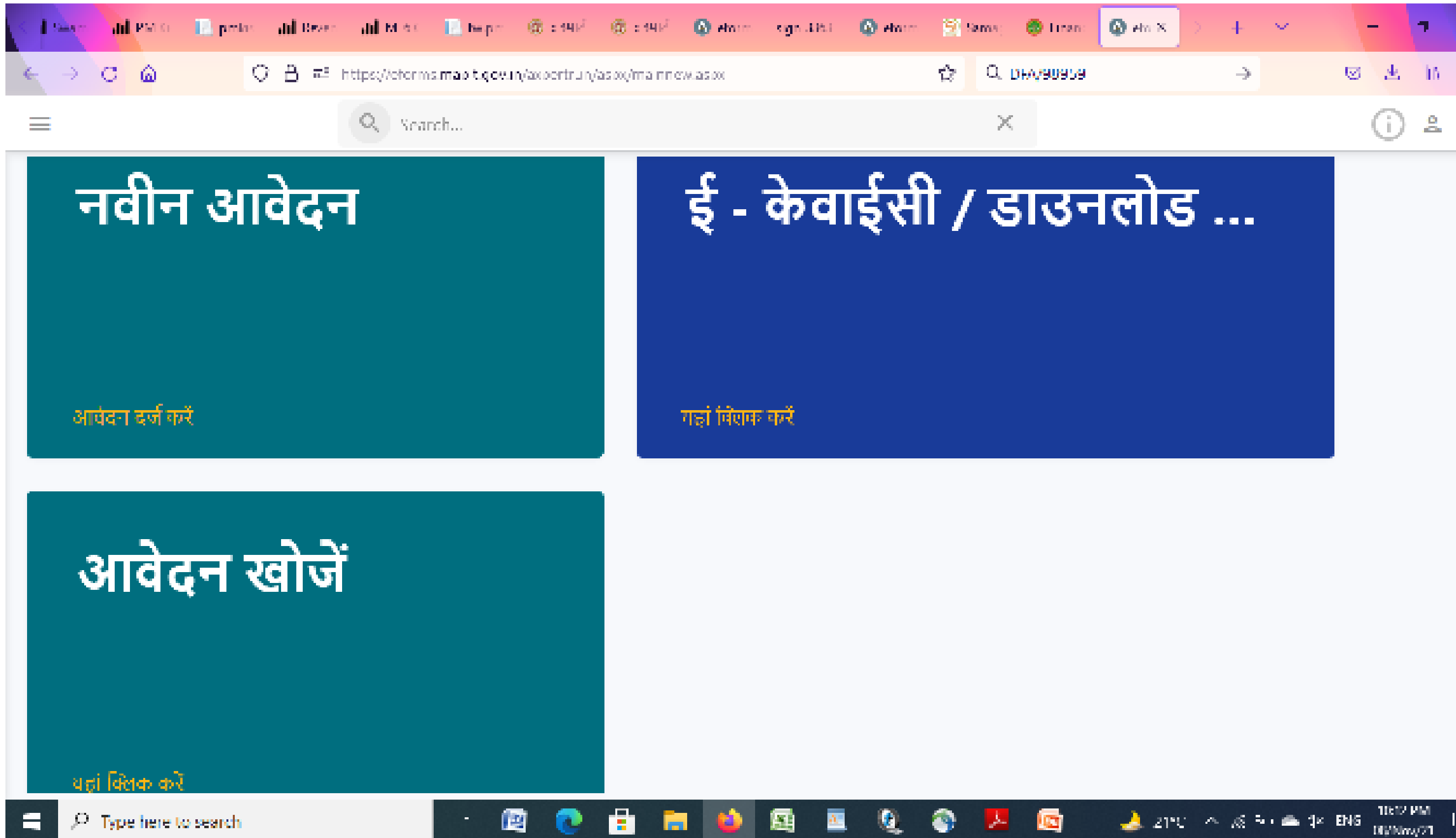

ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया

समस्त जानकारी भरने के उपरांत फार्म सेव करें

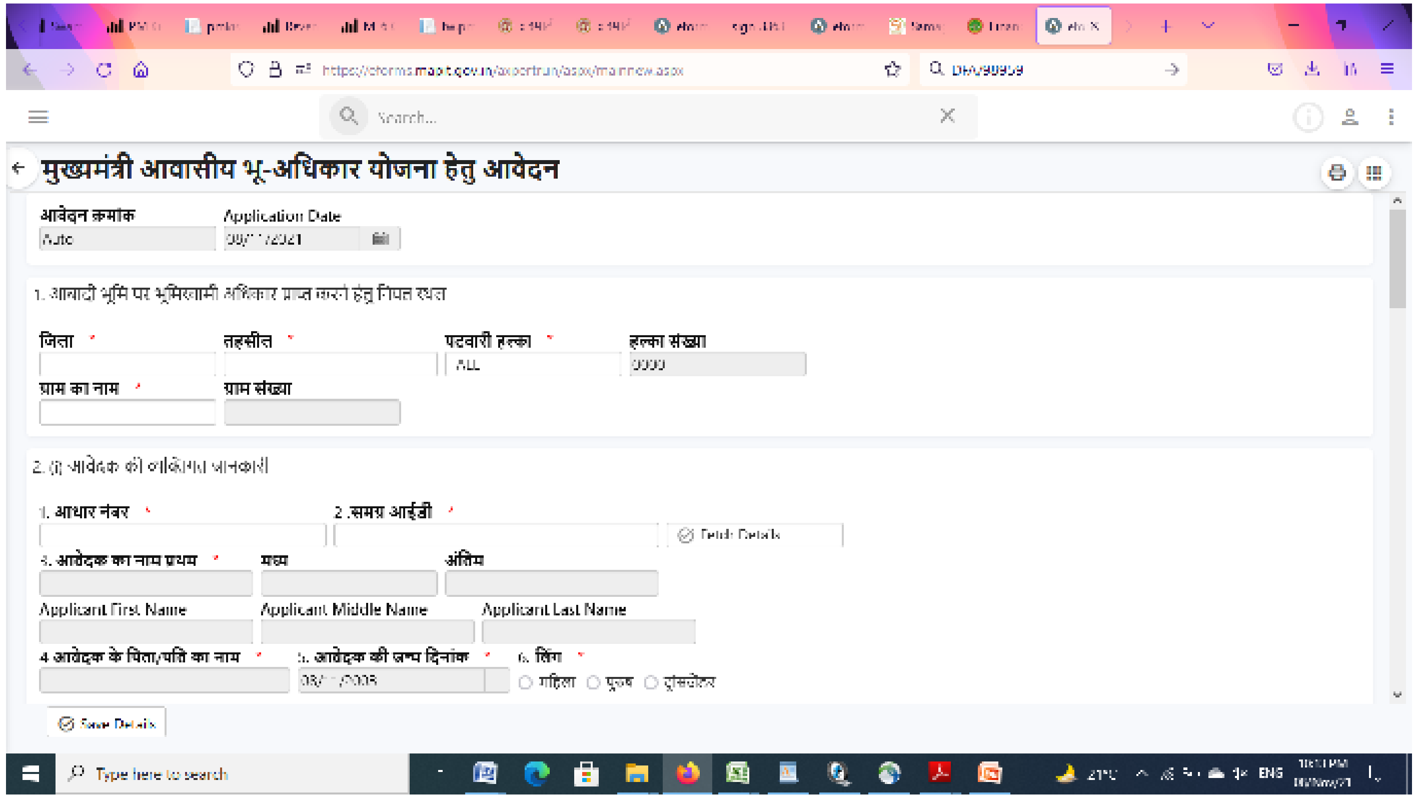

ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया

मोबाईल नंबर एवं समग्र आईडी से जानकारी को सर्च कर सकते है।

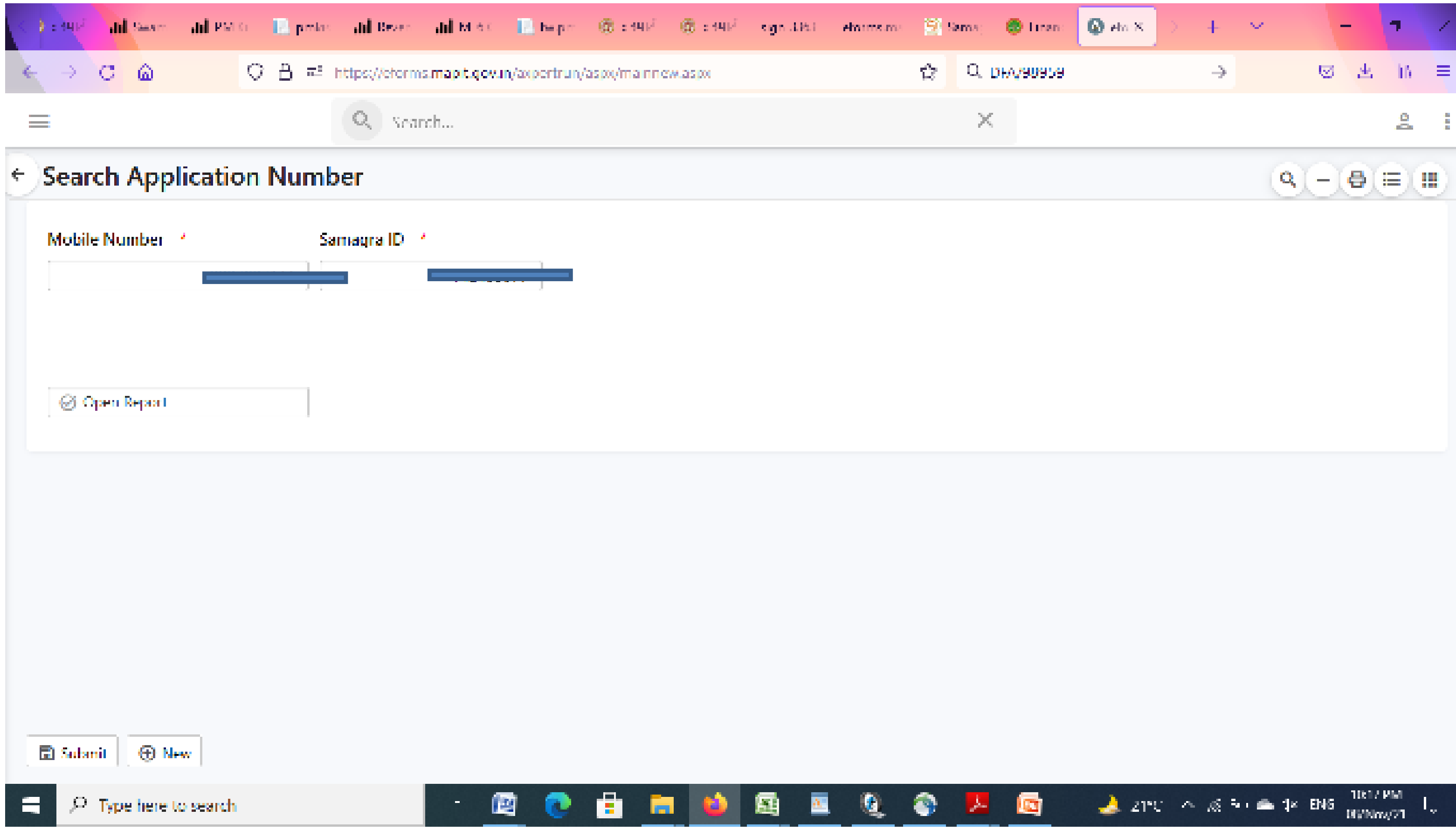

ग्रामीणजन हेतु आवेदन की प्रक्रिया

फार्म भरने के उपरांत ई-केवायसी पृथक से किया जा सकता है एवं एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड किया जा सकता है

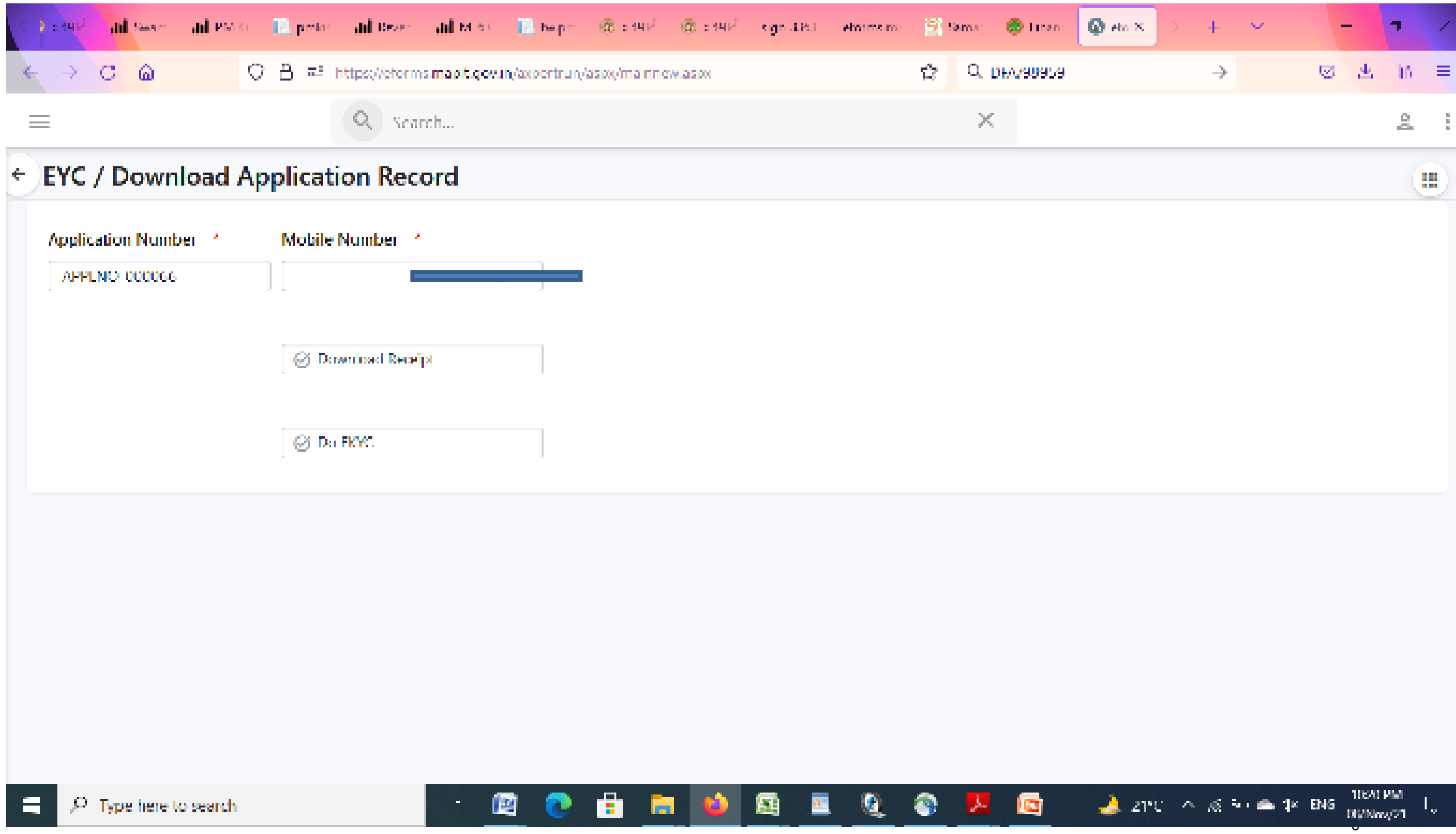

सारा एप के माध्यम से जांच प्रतिवेदन

जांच प्रतिवेदन

- प्राप्त आवेदन ग्रामवार संबंधित पटवारी को एप पर उपलब्ध होंगे।
- एप में प्राप्त आवेदन को सर्च करने की सुविधा होगी, जिसमें आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है।
- जांच प्रतिवेदन सारा एप के माध्यम से ही भेजा जावेगा।
- सारा एप पर मोबाईल स्क्रीन के माध्यम से संयुक्त हस्ताक्षर की सुविधा होगी।
- जिस आवेदन में ई-केवायसी पूर्ण नहीं किया गया है, उस आवेदन पर आवेदक से हस्ताक्षर कराकर फार्म प्रकरण में सुरक्षित रखा जावेगा।

SAARA to RCMS Case

केस निराकरण

- आवेदन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने सारा पोर्टल के माध्यम से जानकारी RCMS पोर्टल पर भेजी जावेगी।
- ग्रामवार दर्ज केस नंबर की जानकारी सारा पोर्टल पर अवलोकन हेतु उपलब्ध होगी।
- RCMS पर नियमानुसार प्रकरण का निराकरण दर्ज किया जावेगा एवं पात्र हितग्राहियों हेतु प्रारूप "ग" की जानकारी अद्यतन की जावेगी। |
- अंतिम जानकारी सारा पोर्टल पर अवलोकन/पीडीएफ डाउनलोड कर प्रिंट करने हेतु उपलब्ध होगी

विशेष (स्वामित्व योजना) :-

- स्वामित्व योजना का कार्य लगातार प्रगतिरत है।
- भू अधिकार प्रमाणपत्र से यह स्पष्ट होगा की आवेदक को विधि अनुसार आबादी भूमि में भूमि 2018 के उपरांत आवंटित हुई है ।
- यदि भू-खण्ड वर्तमान आबादी भूमि में दिया गया है, तो ड्रोन सर्वे के पूर्व चूना मार्किंग कर आवंटित भू-खण्ड को चिन्हांकित किया जावे, जिससे अधिकार अभिलेख, खसरा आदि में आवंटिति का नाम अंकित हो सके।
- यदि पृथक आबादी घोषित कर ले-आउट स्वीकृत किया है, तो ड्रोन फ्लाई के पूर्व ले-आउट अनुसार चूना मार्किंग सुनिश्चित किया जावें।

Thank You...